



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1419 वर्ष 2026

श्रीमती कुसुम राय तथा एक अन्य
बनाम

..... याची(गण)

उ०प्र० राज्य तथा 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार राय

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. उ०प्र० भूराजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत याची द्वारा आरम्भ कार्यवाहिया में जिसे मामला सं० 5429 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी20241490404700) के रूप में पंजीकृत किया गया था जिसमें 19-08-2025 को उपखण्ड अधिकारी, सैदपुर जिला गाजीपुर/प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा अंतिम डिक्री के तैयारी हेतु आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए पक्षकारों को निदेश दिया गया था।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन हेतु, प्रत्यर्थी सं० 3 के समक्ष याची द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21-11-2025 प्रस्तुत किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

3. जब इस न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या अंतिम डिक्री के तैयारी हेतु याची द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा किया गया था तथा क्या किसी अंतिम डिक्री को तैयार किया गया है या नहीं, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिया गया है। रिट याचिका में या अभ्यावेदन दिनांक 21-11-2025 में इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है।

4. इस मामले के दृष्टिगत, न्यायालय की राय है कि याची को अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

5. तदनुसार, रिट याचिका को इस प्रक्रम पर खारिज किया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"